॥ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

सपिण्डीकरणतत्त्वमीमांसा

काल, अधिकार, व्युत्क्रममृत्यु, स्त्री-व्यवस्था तथा पाथेय-विधान



आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान
दूरभाष:9044016661

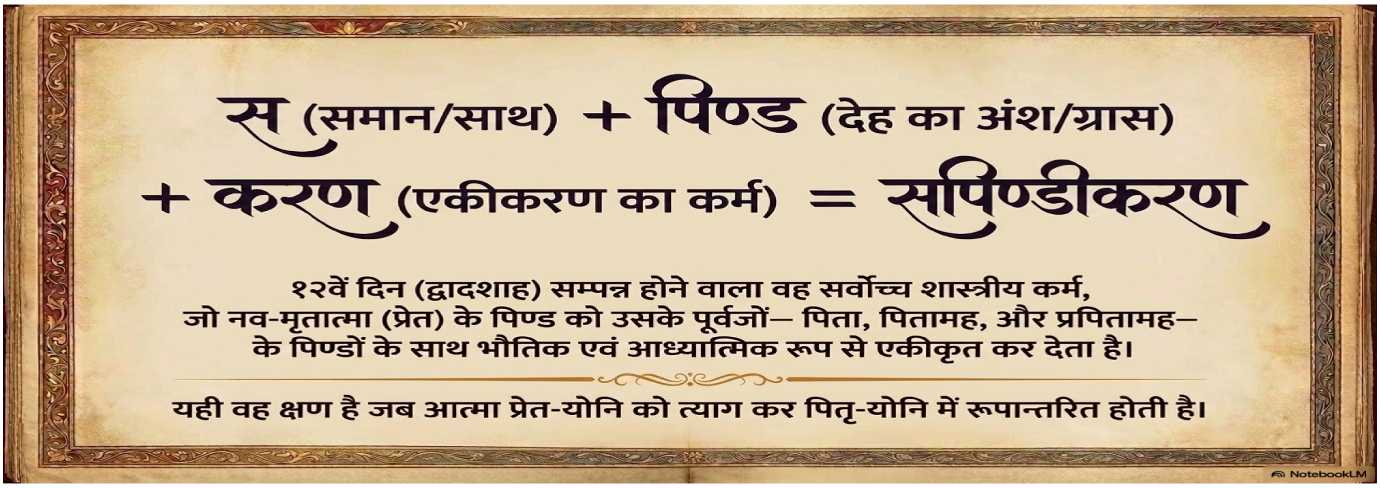
ग्रन्थ-विन्यास

प्रकरण	विषय-विन्यास
प्रथम प्रकरण	सपिण्डीकरण का काल और तत्त्व
द्वितीय प्रकरण	चतु:पुरुष-सीमा, संस्कार-प्रतिबन्ध और अपकर्ष
तृतीय प्रकरण	मुख्य तथा गौण अधिकारी; ज्येष्ठ-कनिष्ठ निर्णय
चतुर्थ प्रकरण	व्युत्क्रम-मृत्यु का मूल विधान
पञ्चम प्रकरण	व्युत्क्रम-मृत्यु की विस्तृत परिस्थितियाँ
षष्ठ प्रकरण	स्त्री-सपिण्डीकरण और मातृपक्षीय मेलन
सप्तम प्रकरण	अन्वारोहण, सहगमन और मतान्तर
अष्टम प्रकरण	अधिकारी-अभाव में पत्नी अथवा पति का अधिकार
नवम प्रकरण	ब्रह्मचारी, अनपत्य और यति-विषयक व्यवस्था
दशम प्रकरण	अन्नश्राद्ध, पाथेय और उदककुम्भ-विधान

विषयानुक्रमणिका

प्रथम प्रकरण

सपिण्डीकरण का काल और तत्त्व

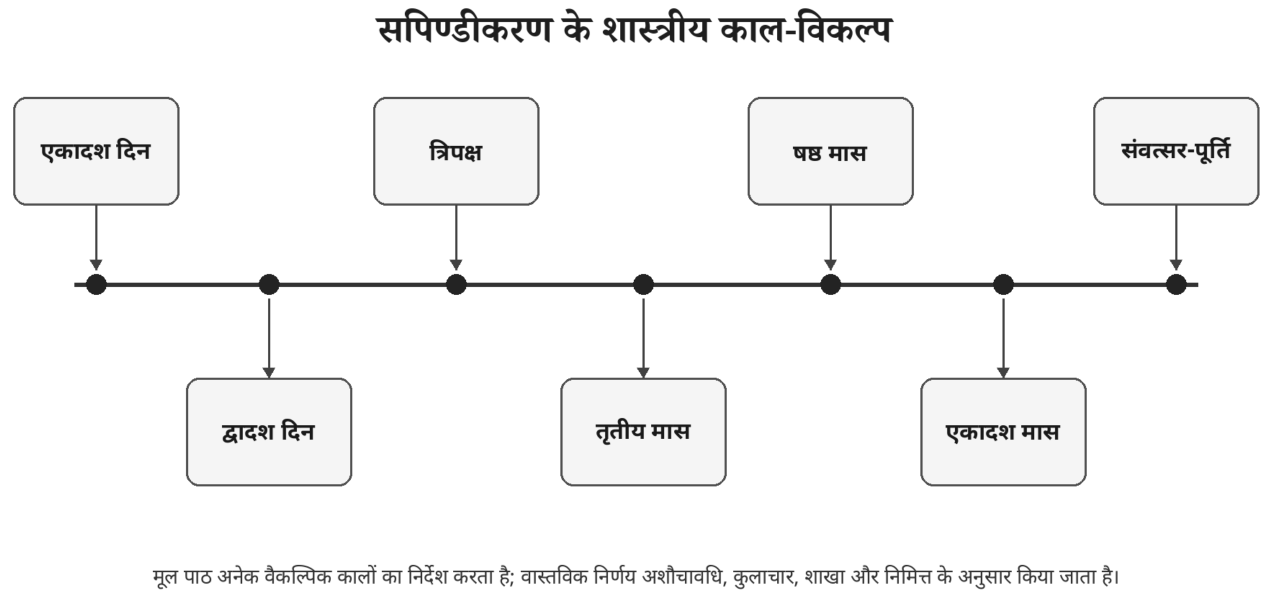


१.१ मूल काल-वचन

अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णे संवत्सरेऽथवा ।
एकादशे मासि षष्ठे त्रिमासे वा त्रिपक्षके ॥
मासान्ते द्वादशेऽह्नि कुर्याद्वैकादशेऽहनि ॥
— संग्रह शिरोमणि, अनुच्छेद १३३

जिस मृतक ने आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्र का संस्कार धारण नहीं किया हो, उसका सपिण्डीकरण संवत्सर की पूर्णता पर किया जा सकता है। आवश्यकता, परम्परा अथवा शास्त्रीय अपकर्ष के अनुसार एकादश मास, षष्ठ मास, तृतीय मास, तृतीय पक्ष, मासान्त, द्वादश दिवस अथवा एकादश दिवस में भी इसका विधान स्वीकार किया गया है। इस प्रकार **संग्रह शिरोमणि** संवत्सरान्त को प्रधान काल मानते हुए विविध पूर्वकालिक विकल्पों का भी निर्देश करता है।

सपिण्डीकरण का मूल तात्पर्य प्रेतभाव की पृथक् स्थिति का समापन करके मृतक को पितृसमुदाय में विधिपूर्वक संयोजित करना है। काल-विकल्पों का उल्लेख इस बात को सूचित करता है कि धर्मशास्त्रीय व्यवस्था केवल एक स्थिर दिन पर निर्भर नहीं, बल्कि अशौचावधि, कुलप्राप्त निमित्त, आगामी संस्कार, कर्तृ-अधिकार तथा प्रादेशिक परम्परा को भी विचार में लेती है।



चित्र १ — सपिण्डीकरण के काल-विकल्पों की सांकेतिक कालरेखा

१.२ काल-विकल्पों की निर्णय-सारिणी

काल-विकल्प	संग्रह शिरोमणि में स्थिति	निर्णयार्थ संकेत
संवत्सर-पूर्ति	प्रधान एवं पूर्ण काल	वर्षान्त पक्ष में सांवत्सरिक और सपिण्डन के क्रम का विशेष विचार
एकादश मास	पूर्वकालिक विकल्प	कुलाचार एवं निमित्तानुसार
षष्ठ मास	पूर्वकालिक विकल्प	वृद्धि अथवा अन्य आवश्यक संस्कार की प्राप्ति पर
तृतीय मास	अपकर्षित विकल्प	आचार्य-निर्णय अपेक्षित
तृतीय पक्ष	अधिक अपकर्षित विकल्प	विशिष्ट आवश्यकता में
मासान्त	संग्रह शिरोमणि में निर्दिष्ट विकल्प	मासिक क्रम के अन्तर्गत
द्वादश दिन	अशौचोत्तर निकट काल	“द्वादशाह” का आशय अशौच-समाप्ति के उत्तरदिन से भी सम्बद्ध
एकादश दिन	शीघ्र विकल्प	प्रेतकर्म-क्रम के निकट

द्वितीय प्रकरण

चतु:पुरुष-सीमा, संस्कार-प्रतिबन्ध और अपकर्ष

२.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ

१३४. तथा चतु:पुरुषसपिण्डेषु सपिण्डीकरणाभावे गर्भाधानादिकमपि न कार्यम्। एवमावश्यकवृद्धियुतकर्मप्राप्तौ कनिष्ठः पुत्रो वा भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वान्यः सपिण्डो वा शिष्यो वा गौणकर्त्तापि कुलप्राप्तवृद्धिसिद्ध्यर्थं सपिण्डनाद्यपकर्षं कुर्यात्। तत्र च कृते मुख्यस्य पुत्रादेर्न पुनः करणम्। वृद्धिं विना गौणाधिकारिणा पुत्रादिना कृते पुनरावर्त्तनीयम्; एकादशाहान्तकर्मणस्तु न पुनरावृत्तिः। अत्र द्वादशाहपदेन अशौचसमाप्त्युत्तरदिनं गृह्यते। तेन त्रिदिनाशौचे पञ्चमदिने सपिण्डीकरणम्। सपिण्डनश्राद्धमुक्तकाले न कृतं चेत् तदा हस्तार्द्रारोहिण्यनुराधासु चरेदिति स्मृत्यर्थसारे। वर्षान्तसपिण्डनपक्षे वर्षान्त्यदिने पूर्वं सांवत्सरं श्राद्धं समाप्य सपिण्डनं च कृत्वा परेद्युर्मृताहे वार्षिकं कार्यमिति कालः।

चार पुरुषों की सपिण्ड-परिधि के भीतर किसी पूर्वज का सपिण्डीकरण शेष हो तो गर्भाधान आदि शुभ संस्कार प्रारम्भ नहीं किए जाने चाहिए। यदि विवाह, गर्भाधान, जातकर्म अथवा अन्य वृद्धि-निमित्तक संस्कार अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाए, तो मुख्य कर्ता के अभाव में कनिष्ठ पुत्र, भ्राता, भ्रातृपुत्र, अन्य सपिण्ड अथवा शिष्य भी गौण कर्ता बनकर सपिण्डीकरण के काल का अपकर्ष कर सकता है। ऐसे वृद्धि-निमित्त सम्पन्न सपिण्डीकरण को मुख्य पुत्रादि पुनः न करें। किन्तु वृद्धि-निमित्त के बिना गौणाधिकारी द्वारा किया गया सपिण्डीकरण मुख्याधिकारी के उपस्थित होने पर पुनः किया जा सकता है; तथापि एकादशाहान्त कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होती।

"द्वादशाह" शब्द को केवल मृत्यु से बारहवाँ दिन न समझकर अशौच-समाप्ति के बाद का उत्तरदिन भी माना गया है। अतः जहाँ अशौच तीन दिन का हो, वहाँ पञ्चम दिवस सपिण्डीकरण के लिए ग्राह्य हो सकता है। यदि निर्दिष्ट काल में सपिण्डन न हो सके तो हस्त, आर्द्रा, रोहिणी अथवा अनुराधा नक्षत्र में इसका विधान बताया गया है। वर्षान्त सपिण्डीकरण की स्थिति में वर्षपूर्ति से पूर्व दिन सांवत्सरिक श्राद्ध और सपिण्डन सम्पन्न करके, अगले दिन वास्तविक मृततिथि पर वार्षिक श्राद्ध किया जाए।

२.२ अपकर्ष और पुनरावृत्ति का निर्णय

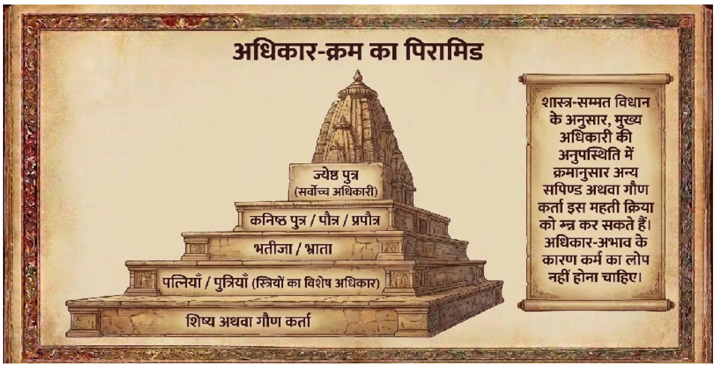
परिस्थिति	कौन कर सकता है	क्या मुख्याधिकारी पुनः करेगा?
आवश्यक वृद्धि-कर्म निकट है	कनिष्ठ पुत्र, भ्राता, भ्रातृपुत्र, अन्य सपिण्ड या शिष्य	नहीं; वृद्धि-निमित्त सम्पन्न सपिण्डन पुनरावर्तनीय नहीं
वृद्धि-निमित्त नहीं, गौणाधिकारी ने किया	गौण कर्ता	मुख्याधिकारी पुनः कर सकता है
एकादशाहान्त कर्म सम्पन्न	सम्बद्ध अधिकारी	इन कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं
निर्दिष्ट काल निकल गया	योग्य अधिकारी	हस्त, आर्द्रा, रोहिणी या अनुराधा में

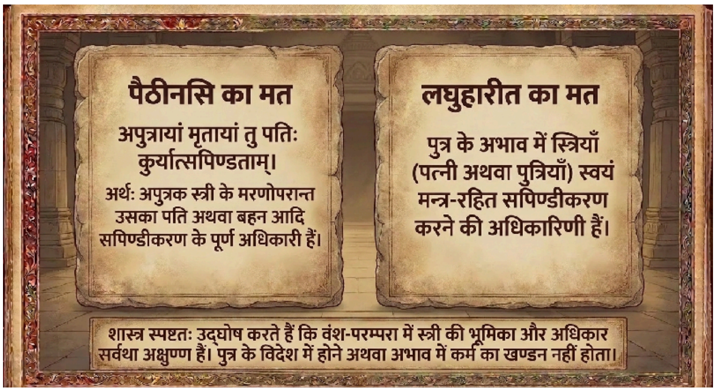
२.३ संस्कार-प्रतिबन्ध का तात्पर्य

चतु:पुरुष-परिधि में असम्पन्न सपिण्डीकरण को शुभ संस्कारों के लिए अवरोध मानने का अभिप्राय पितृऋण और कुलपरम्परा की कर्मगत निरन्तरता को पूर्वता देना है। यहाँ "वृद्धि" शब्द नान्दीमुख अथवा मंगल-निमित्तक पितृस्मरण से सम्बद्ध है; अतः नई वंशवृद्धि से पहले पूर्व पितरों की श्राद्धीय स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक माना गया है।

तृतीय प्रकरण

मुख्य तथा गौण अधिकारी; ज्येष्ठ-कनिष्ठ निर्णय





३.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ

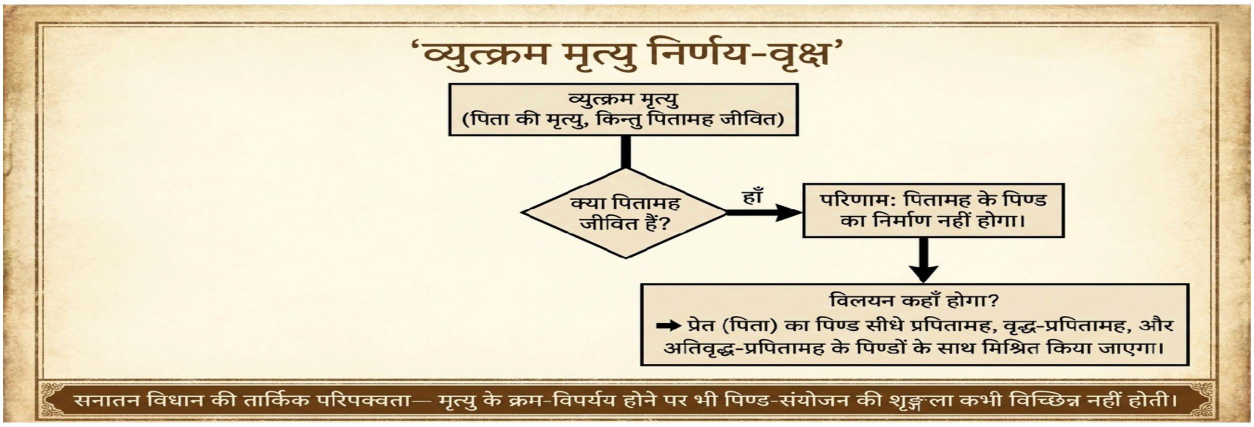
१३५. तच्च सपिण्डनं पुत्रे विदेशस्थेऽपि सति नान्यः कुर्यात्। एवं ज्येष्ठपुत्रे विदेशस्थे कनिष्ठोऽपि कुर्यात्। षोडशश्राद्धानि तु ज्येष्ठासन्निधाने कनिष्ठेन कार्याणि, पुनर्ज्येष्ठेन न कार्याणि। आहिताग्निः कनिष्ठोऽपि सपिण्डनं कुयदिव। वृद्धिनिमित्ते तु कनिष्ठादिभिरपि सपिण्डनं कार्यम्। वृद्धिं विना कनिष्ठपुत्रेण कृतेऽपि सपिण्डने ज्येष्ठपुत्रेण पुनः कार्यम्। तत्र पुनः करणे प्रेतशब्दो न वाच्य इति।

पुत्र के विदेश में रहने मात्र से सामान्यतः अन्य व्यक्ति उसका अधिकार ग्रहण न करे; किन्तु काल-प्राप्ति, संस्कारगत आवश्यकता अथवा ज्येष्ठ की वास्तविक अनुपस्थिति में कनिष्ठ पुत्र कर्म कर सकता है। ज्येष्ठ के न रहने पर कनिष्ठ द्वारा षोडशश्राद्ध सम्पन्न हो जाएँ तो ज्येष्ठ लौटकर उन्हें पुनः न करे। यदि कनिष्ठ स्वयं आहिताग्नि है, तो वह सपिण्डीकरण का अधिकारी है। वृद्धि-निमित्त में कनिष्ठादि को भी सपिण्डन का अधिकार है। वृद्धि-निमित्त के बिना कनिष्ठ द्वारा किया गया सपिण्डन ज्येष्ठ द्वारा पुनः किया जा सकता है; परन्तु इस पुनःकरण में मृतक के लिए “प्रेत” शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि पूर्वकृत कर्म से प्रेतभाव का संस्कारात्मक निवर्तन मान लिया गया है।

३.२ अधिकार-क्रम की सारिणी

अधिकारी अथवा स्थिति	कर्माधिकार	पुनरावृत्ति का नियम
ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित	प्रधान अधिकारी	सामान्यतः वही करे
ज्येष्ठ विदेशस्थ/अनुपस्थित	कनिष्ठ पुत्र	कालप्राप्ति पर कर सकता है
कनिष्ठ ने षोडशश्राद्ध किए	कनिष्ठ का कर्म मान्य	ज्येष्ठ पुनः न करे
कनिष्ठ आहिताग्नि है	सपिण्डन का प्रत्यक्ष अधिकार	कर्म मान्य
वृद्धि-निमित्त में कनिष्ठादि ने किया	गौण अधिकार मान्य	ज्येष्ठ पुनः न करे
वृद्धि-विहीन स्थिति में कनिष्ठ ने किया	अस्थायी/गौण कर्तृत्व	ज्येष्ठ पुनः कर सकता है; “प्रेत” शब्द न बोले

चतुर्थ प्रकरण



व्युत्क्रम-मृत्यु का मूल विधान

४.१ मूल श्लोक

मृते पितरि यस्याथ विद्यते च पितामहः ।
तेन देयास्त्रयः पिण्डाः प्रपितामहपूर्वकाः ॥
तेभ्यश्च पैतृकः पिण्डो नियोक्तव्यस्तु पूर्ववत् ।
मातर्यथ मृतायां च विद्यते च पितामही ॥
प्रपितामहिपूर्वस्तु कार्यस्तत्राप्ययं विधिः ॥
— संग्रह शिरोमणि, अनुच्छेद १३६

यदि पिता का देहान्त हो जाए और पितामह जीवित हों, तो पिता के पिण्ड को जीवित पितामह में नहीं मिलाया जाता। इसके स्थान पर प्रपितामह से आरम्भ होने वाली तीन उच्च पितृ-पीढ़ियों के पिण्ड स्थापित करके पिता के पिण्ड का उनमें पूर्वविधि से संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार यदि माता का देहान्त हो और पितामही जीवित हों, तो माता के पिण्ड का मेलन प्रपितामही से आरम्भ होने वाली तीन उच्च मातृ-पितृवंशीय स्त्री-पीढ़ियों में किया जाए।

४.२ व्युत्क्रम-मृत्यु की वंशरेखा

देहान्त	जीवित वरिष्ठ	जिन तीन पिण्डों में मेलन
पिता	पितामह	प्रपितामह, वृद्धप्रपितामह, प्रवृद्धप्रपितामह
माता	पितामही	प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही, प्रवृद्धप्रपितामही

व्युत्क्रम-मृत्यु का सिद्धान्त यह है कि जीवित व्यक्ति को श्राद्धीय पितृपद में कल्पित नहीं किया जाता। इसलिए मेलन-क्रम एक पीढ़ी ऊपर स्थानान्तरित होता है। यह व्यवस्था वंशपरम्परा की जीवित और दिवंगत अवस्थाओं के बीच शास्त्रीय सीमा को सुरक्षित रखती है।

पञ्चम प्रकरण

व्युत्क्रम-मृत्यु की विस्तृत परिस्थितियाँ

५.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ

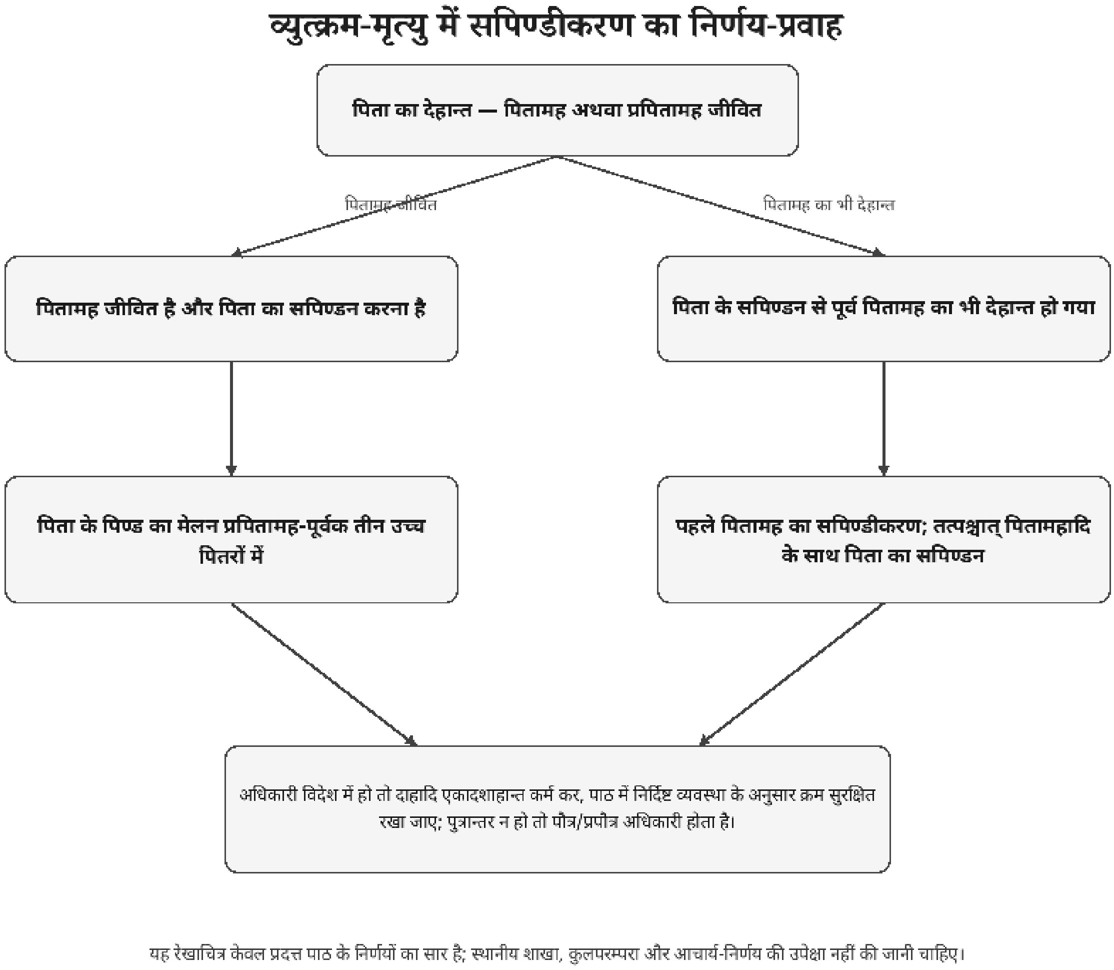
१३७. एवं प्रपितामहजीवने तत्पित्रादिभिः कार्यः। यत्तु “व्युत्क्रमात्तु प्रमीतानां नैव कार्या सपिण्डना” इति, तन्मातृभर्तृभिन्नविषयम्। प्रपितामहादिभिः पितुः सपिण्डने कृते पश्चात्पितामहमरणेऽपि पुनः पितामहेन सह पितुः सपिण्डनं कार्यम्। यदा तु पितुः सपिण्डनात् प्राक् पितामहो मृतस्तदा पितामहसपिण्डनं कृत्वा पितामहादिभिः सह पितुः सपिण्डनं कार्यम्। यदा च पितुर्मरणोत्तरं पितामहः प्रपितामहो वा मृतश्चेत्तयोश्च पुत्रान्तरं सपिण्डनाधिकारिदेशान्तरे तिष्ठति, तदा दाहाद्येकादशाहान्तमात्रं कर्म कृत्वा सपिण्डनहीनाभ्यामपि पितामहप्रपितामहाभ्यां सह पितुः सपिण्डनं कुर्यात्। पितामहप्रपितामहयोः पुत्रान्तराभावे तु पौत्रः प्रपौत्रो वा तयोः सपिण्डनं कुर्यात्। पितामहस्य पुत्रान्तराभावे पौत्रेण सपिण्डनषोडशानुमासिकान्तमेव कर्म कार्यम्; पितामहवार्षिकादिकं तु नावश्यकम्, इच्छया पितामहवार्षिकादिकरणे तु फलातिशयः। पितृदशाहं कुर्वन् यः पुत्रो मृतस्तदा तत्पुत्रः स्वपितुरौर्ध्वदैहिकं कृत्वा पितामहौर्ध्वदैहिकं तु पुनः सर्वमावर्त्तयेत्; अतीते दशाहे तु न पुनरावृत्तिः। पुत्रान्तराभावे पितामहसपिण्डनोत्तरं पितृसपिण्डनमित्युक्तम्। अशक्तिवशात् पित्रानुज्ञातेन पौत्रेण पितामहदशाहकर्मणि आरब्धे, पश्चात्पितृमृतौ पित्राशौचं वहन्नेव पौत्रः पितामहौर्ध्वदैहिकं कुर्यादिति।

प्रपितामह के जीवित रहने पर भी यही सिद्धान्त लागू होगा—मेलन के लिए उनकी अपेक्षा उच्चतर पितृ-पीढ़ियों की कल्पना की जाएगी। “व्युत्क्रम से मृत व्यक्तियों का सपिण्डन नहीं होता” ऐसा जो निषेध-वचन है, उसका प्रयोग माता और भर्ता से भिन्न कुछ सम्बन्धों के विषय में माना गया है; इसे सर्वथा सामान्य निषेध नहीं समझना चाहिए।

यदि पिता का सपिण्डीकरण प्रपितामहादि के साथ पहले ही सम्पन्न हो चुका हो और उसके पश्चात् पितामह का देहान्त हो, तो संग्रह शिरोमणि पितामह के साथ पिता के सम्बन्ध की पुनर्व्यवस्था का निर्देश करता है। दूसरी ओर, यदि पिता के सपिण्डन से पूर्व पितामह का देहान्त हो जाए, तो पहले पितामह का सपिण्डीकरण किया जाए और फिर पितामहादि के साथ पिता का सपिण्डन सम्पन्न हो।

पिता की मृत्यु के बाद पितामह अथवा प्रपितामह का भी देहान्त हो जाए और उनका प्रधान पुत्र अथवा सपिण्डनाधिकारी विदेश में हो, तो दाह से एकादशाहान्त तक कर्म सम्पन्न करके संग्रह शिरोमणि की व्यवस्था के अनुसार पिता का सपिण्डन क्रमबद्ध किया जा सकता है। यदि पितामह या प्रपितामह का अन्य पुत्र न हो, तो पौत्र अथवा प्रपौत्र उनका सपिण्डन करे। पितामह के लिए पौत्र सपिण्डन, षोडशश्राद्ध और अनुमासिक पर्यन्त कर्म करे; वार्षिक श्राद्ध अनिवार्य नहीं, किन्तु इच्छानुसार करने पर विशेष फल माना गया है।

यदि कोई पुत्र अपने पिता के दशाह-कर्म के मध्य स्वयं दिवंगत हो जाए, तो उसका पुत्र पहले अपने पिता का और्ध्वदैहिक सम्पन्न करे और पितामह के और्ध्वदैहिक कर्मों को पुनः व्यवस्थित करे; किन्तु दशाह बीत जाने पर दशाह की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुत्रान्तर न हो तो पहले पितामह का सपिण्डन और उसके बाद पिता का सपिण्डन किया जाए। यदि अशक्त पिता की आज्ञा से पौत्र ने पितामह का दशाह आरम्भ किया हो और उसी बीच पिता की मृत्यु हो जाए, तो पौत्र पिता का अशौच वहन करते हुए भी आरम्भित पितामह-कर्म को पूरा करे तथा पिता के कर्म का भी निर्वाह करे।



चित्र २ — व्युत्क्रम-मृत्यु में सपिण्डीकरण का निर्णय-प्रवाह

५.२ जटिल परिस्थितियों की समेकित सारिणी

स्थिति	प्रथम कर्तव्य	तत्पश्चात्
पिता मृत, पितामह जीवित	पिता का मेलन उच्चतर तीन पितरों में	जीवित पितामह को पिण्ड-पद न दें
पिता के सपिण्डन से पूर्व पितामह मृत	पहले पितामह का सपिण्डन	फिर पितामहादि के साथ पिता का सपिण्डन
पितामह/प्रपितामह का अधिकारी विदेशस्थ	दाह से एकादशाहान्त कर्म	संग्रह शिरोमणि के अनुसार क्रम सुरक्षित रखते हुए पिता का सपिण्डन
पितामह का पुत्रान्तर नहीं	पौत्र अधिकारी	सपिण्डन, षोडशश्राद्ध, अनुमासिक पर्यन्त
पिता का दशाह करते पुत्र की मृत्यु	नवीन पुत्र अपने पिता का और्ध्वदैहिक करे	पितामह-कर्म का आवश्यक पुनर्विन्यास; दशाह बीत चुका हो तो पुनरावृत्ति नहीं
पौत्र ने आज्ञा से पितामह-दशाह आरम्भ किया, फिर पिता मृत	आरम्भित पितामह-कर्म जारी	साथ ही पिता के अशौच और कर्म का निर्वाह

षष्ठ प्रकरण

स्त्री-सपिण्डीकरण और मातृपक्षीय मेलन

६.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ और प्रमाण-वचन

१३८. अथ स्त्रीषु व्यवस्था। पितामह्यादिभिः सार्द्धं मातरं तु सपिण्डयेत्। केचित् पितृमरणोत्तरं मातृमरणे पित्रा सहैव मातृसपिण्डनमाहुः। दौहित्रः सपिण्डनकर्त्ता चेत् मातामहेन सह सपिण्डनम्। अपरे सहगमने तु भर्त्रैव सह सपिण्डनम्। येन केनापि सपिण्डनेऽप्यन्वष्टक्यप्रतिवार्षिकादिश्राद्धेषु पितामह्यादिभिः सहैव मातुः पार्वणं कार्यम्। अत्र केचित् स्वपुत्रस्य पत्नीपुत्रयोः पत्युश्चाभावे स्त्रीणां सपिण्डनं नास्तीत्याहुः।

पुत्रेणैव तु कर्त्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ।
पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये भ्रातृपुत्रादयोऽपि च ॥
— लघुहारीत

सपिण्डीकरणं स्त्रीणां पुत्राभावे न विद्यते ॥
— मार्कण्डेय

माता का सामान्य सपिण्डीकरण पितामही और उनसे उच्च स्त्री-पितृपीढ़ियों के साथ किया जाता है। कुछ आचार्य पिता के पश्चात् माता की मृत्यु होने पर माता का मेलन पिता के साथ मानते हैं। यदि असपिण्ड दौहित्र कर्ता हो तो एक मत मातामह के साथ संयोजन का निर्देश करता है। सहगमन की स्थिति में अन्य मत पति के साथ पत्नी का सपिण्डन स्वीकार करता है। तथापि अन्वष्टका, प्रतिवार्षिक और अन्य पार्वण श्राद्धों में माता का पार्वण पितामही-परम्परा के साथ ही किया जाता है।

अधिकार-विषय में मतभेद है। एक पक्ष के अनुसार अपना पुत्र, सपत्नीपुत्र अथवा पति—इनमें कोई न हो तो स्त्री का सपिण्डीकरण नहीं होता। लघुहारीत स्त्री के सपिण्डीकरण को पुत्र का विशिष्ट कर्तव्य मानते हैं, जबकि पुरुष के लिए भ्राता, भ्रातृपुत्र आदि अन्य अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। मार्कण्डेय पुत्राभाव में स्त्री-सपिण्डीकरण के अभाव का मत प्रस्तुत करते हैं।

६.२ स्त्री-सपिण्डीकरण के मतों की तुलनात्मक सारिणी

प्रसंग/मत	मेलन अथवा अधिकारी	विशेष टिप्पणी
सामान्य मातृ-सपिण्डन	पितामही आदि स्त्री-पितृपंक्ति	प्रधान व्यवस्था
पिता के बाद माता का देहान्त	कुछ मतों में पिता के साथ	मतान्तर
दौहित्र कर्ता	कुछ मतों में मातामह के साथ	असपिण्ड कर्तृत्व की विशेष स्थिति
सहगमन	पति के साथ	विशेष मत
लघुहारीत	स्त्री का कर्ता पुत्र	पुरुष में भ्राता/भ्रातृपुत्र भी
मार्कण्डेय	पुत्राभाव में स्त्री-सपिण्डन नहीं	अभाव-पक्ष

सप्तम प्रकरण

अन्वारोहण, सहगमन और मतान्तर

७.१ अन्वारोहण में पिण्ड-मेलन के दो पक्ष

१३९. अत्रान्वारोहणे भर्त्रा सह सपत्नीसंयोजनमिति पक्षे मतद्वयम्। प्रथमपितृपिण्डस्य पितामहादिषु त्रिषु संयोजनं प्रथमं कृत्वा पश्चाद् मातृपिण्डं पितामहादिषु संयोजयेदित्येकः। अपरस्तु प्रथमं मातृपिण्डं पित्रैव संयोज्य मातृपिण्डेनैकीकृतं पितृपिण्डं पितामहादिषु संयोजयेदिति द्वितीयः पक्षः। अत्र द्वितीयपक्ष एव युक्तः।

पति के अनुगमन अथवा सहगमन की स्थिति में पत्नी को पति के साथ संयोजित करने के विषय में दो क्रम बताए गए हैं। प्रथम मत में पहले पितृपिण्ड का पितामहादि तीन पिण्डों में मेलन किया जाता है और बाद में मातृपिण्ड को उन्हीं में मिलाया जाता है। द्वितीय मत में पहले मातृपिण्ड को पितृपिण्ड में मिलाकर एकीकृत किया जाता है और फिर उस संयुक्त पितृपिण्ड का पितामहादि में मेलन होता है। संग्रह शिरोमणि में द्वितीय पक्ष को अधिक युक्त और शिष्टानुकूल माना गया है।



अन्वारोहण में पिण्ड-मेलन का मान्य क्रम



प्रदत्त पाठ के अनुसार दूसरा पक्ष अधिक युक्त माना गया है—पहले माता का पिण्ड पिता में, फिर संयुक्त पिण्ड का उच्च पितृपंक्ति में मेलन।

चित्र ३ — अन्वारोहण में मान्य पिण्ड-मेलन क्रम

७.२ सहगमन अथवा एकदिन-मरण का मतान्तर

१४०. अत्र केचित् सहगमने एकदिनमरणे वा स्त्रियाः सपिण्डनं नास्ति, भर्तुः कृते सपिण्डने भार्याया अपि कृतं भवतीति मतान्तरमाहुः।

कुछ आचार्यों का मत है कि सहगमन अथवा पति-पत्नी की एक ही दिन मृत्यु होने पर पत्नी का पृथक् सपिण्डीकरण आवश्यक नहीं, क्योंकि पति का सपिण्डन सम्पन्न होने से पत्नी का भी सपिण्डन सिद्ध मान लिया जाता है। यह सर्वसम्मत निर्णय नहीं, अपितु पृथक् मतान्तर है।

अष्टम प्रकरण

अधिकारी-अभाव में पत्नी अथवा पति का अधिकार

८.१ पत्नी द्वारा पति का अमन्त्रक सपिण्डन

सर्वाभावे स्वयं भार्याः स्वभर्तॄणाममन्त्रकम् ।
सपिण्डीकरणं कुर्युस्ततः पार्वणमेव च ॥
— संग्रह शिरोमणि, अनुच्छेद १४१

जब पति के सपिण्डीकरण के सभी सामान्य अधिकारी उपलब्ध न हों, तब पत्नी अपने पति का अमन्त्रक सपिण्डीकरण कर सकती है और उसके पश्चात् पार्वण श्राद्ध का भी सम्पादन कर सकती है। “अमन्त्रक” का आशय यह है कि जिन वैदिक अथवा अधिकारविशिष्ट मन्त्रों का स्त्री द्वारा विनियोग परम्परा में स्वीकृत न हो, उन्हें छोड़कर कर्म का आवश्यक रूप सम्पन्न किया जाए।

८.२ अपुत्रा स्त्री का पति द्वारा सपिण्डन

अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात्सपिण्डताम् ।
स्वस्रादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत् ॥
— पैठीनसि

यदि पुत्रहीन स्त्री का देहान्त हो, तो उसका पति सपिण्डीकरण करे। पैठीनसि के मत में उस स्त्री का मेलन उसकी भगिनी आदि स्त्री-सम्बन्धियों की श्रेणी के साथ किया जाता है। यह व्यवस्था सामान्य मातृ-पितामही मेलन से भिन्न विशेष अधिकार-परिस्थिति को सूचित करती है।

८.३ अभावाधिकार की सारिणी

अभाव-स्थिति	अधिकारी	कर्म-रूप
पति के सामान्य अधिकारी कोई नहीं	पत्नी	अमन्त्रक सपिण्डीकरण और तत्पश्चात् पार्वण
पुत्रहीन स्त्री का देहान्त	पति	भगिनी आदि के साथ सपिण्डीकरण — पैठीनसि मत

नवम प्रकरण

ब्रह्मचारी, अनपत्य और यति-विषयक व्यवस्था

९.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ

१४२. ब्रह्मचारिणामनपत्यानां च व्युत्क्रममृतानां च सपिण्डनं न कार्यमिति मतान्तरम्। अत्र सपिण्डनाभावपक्षो न शिष्टाचारे दृश्यते। यतीनां सपिण्डीकरणं नास्ति, किन्तु तत्स्थाने एकादशेऽह्नि पार्वणं कार्यमिति।

ब्रह्मचारी, संतानहीन अथवा व्युत्क्रम से मृत व्यक्तियों का सपिण्डीकरण न किया जाए—ऐसा एक मत है; किन्तु संग्रह शिरोमणिकार स्पष्ट करते हैं कि सपिण्डीकरण का सर्वथा अभाव शिष्टाचार में सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होता। यतियों अर्थात् संन्यासियों के लिए सपिण्डीकरण नहीं किया जाता; उसके स्थान पर एकादश दिन पार्वण श्राद्ध का विधान बताया गया है।

९.२ निर्णय-सार

वर्ग	सपिण्डीकरण	वैकल्पिक/विशेष कर्म
ब्रह्मचारी	अभाव का मतान्तर; शिष्टाचार में सर्वथा अभाव स्वीकृत नहीं	परम्परा-निर्णय अपेक्षित
अनपत्य पुरुष	अभाव का मतान्तर	अन्य योग्य अधिकारी का विचार
व्युत्क्रममृत	अभाव का मतान्तर सर्वत्र ग्राह्य नहीं	पूर्वोक्त व्युत्क्रम-विधान लागू
यति/संन्यासी	सपिण्डीकरण नहीं	एकादश दिन पार्वण

दशम प्रकरण

अन्नश्राद्ध, पाथेय और उदककुम्भ-विधान

१०.१ संग्रह शिरोमणि का मूल पाठ और प्रमाण

१४३. सपिण्डीकरणश्राद्धमन्नेनैव कार्यं न त्वामान्नादिना। अनुमासिकान्यप्यन्नेनैव कार्याणि।

प्रेतः सपिण्डनादूर्ध्वं पितृलोकं स गच्छति ।

कुर्यात्तस्य च पाथेयं द्वितीयेऽह्नि सपिण्डनात् ॥

— संग्रह शिरोमणि में उद्धृत प्रमाण-वचन

सपिण्डीकरण-श्राद्ध पके हुए अन्न अथवा विधिपूर्वक सिद्ध हविष्यान्न से किया जाए; केवल कच्चे अन्न, आमान्न अथवा उसके दानमात्र से इसका प्रतिस्थापन न किया जाए। अनुमासिक श्राद्ध भी अन्न से ही सम्पन्न किए जाएँ। सपिण्डीकरण के द्वारा प्रेत पितृलोक की यात्रा के लिए संस्कारित होता है; अतः उसके अगले दिन पाथेय-श्राद्ध किया जाए। यदि सपिण्डीकरण द्वादश दिन हो, तो त्रयोदश दिन पाथेय का विधान सिद्ध होता है।

पाथेय-श्राद्ध के पश्चात् पुण्याहवाचन, गणेशादि पूजन और अन्य प्रारम्भिक मंगलकृत्य सम्पन्न किए जाएँ। तत्पश्चात् वर्षपर्यन्त प्रतिदिन अथवा परम्परानुसार उदककुम्भपूर्वक श्राद्ध अथवा जलदान किया जाए। उदककुम्भ मृतक की उत्तरयात्रा के लिए जलोपयोगी प्रतीकात्मक सहायता का रूप है।

१०.२ सपिण्डन से पाथेय तक का कर्मक्रम

क्रम	कर्म	मुख्य निर्देश
१	सपिण्डीकरण-श्राद्ध	पक्व अन्न/हविष्यान्न से
२	सपिण्डन का परिणाम	प्रेत का पितृलोक-सम्बन्ध संस्कारित
३	द्वितीय दिन पाथेय	द्वादश-दिवसीय सपिण्डन हो तो त्रयोदश दिन
४	पुण्याहवाचन एवं गणेशादि पूजन	पाथेय के प्रसंग में शुद्धि-मंगल क्रम
५	उदककुम्भदान	वर्षपर्यन्त प्रतिदिन अथवा परम्परानुसार
६	अनुमासिक श्राद्ध	अन्न से ही

सपिण्डीकरण का धर्मशास्त्रीय समन्वय

संग्रह शिरोमणि में सपिण्डीकरण केवल एक पृथक् श्राद्धकर्म नहीं, बल्कि प्रेतावस्था, पितृपरम्परा, वंशवृद्धि और आगामी संस्कारों के बीच स्थित संक्रमण-संस्कार है। इसका काल संवत्सरान्त से एकादशाह तक विविध रूप से अपकर्षित हो सकता है; किन्तु प्रत्येक अपकर्ष का सम्बन्ध आवश्यकता, वृद्धि-निमित्त, अशौचावधि और कर्तृ-अधिकार से है।

अधिकार-व्यवस्था में ज्येष्ठ पुत्र प्रधान है, किन्तु अनुपस्थिति, विदेशवास, आहिताग्नित्व, वृद्धि-निमित्त और कुलगत आवश्यकता में कनिष्ठ, भ्राता, भ्रातृपुत्र, अन्य सपिण्ड, शिष्य, पौत्र, प्रपौत्र, पत्नी अथवा पति तक गौण अथवा विशेष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस विस्तार का उद्देश्य कर्म का लोप रोकना है, न कि अधिकार-क्रम को निरर्थक बनाना।

व्युत्क्रम-मृत्यु में जीवित वरिष्ठ को पितृपद न देकर उच्चतर दिवंगत पीढ़ियों में मेलन किया जाता है। स्त्री-सपिण्डीकरण में पितामही-पंक्ति प्रधान है, किन्तु पिता-संयोजन, मातामह-संयोजन, पति-संयोजन, पुत्राभाव और सहगमन आदि में विविध मत सुरक्षित हैं। अन्ततः अन्नश्राद्ध, पाथेय और उदककुम्भ मृतक की प्रेतावस्था से पितृलोक-यात्रा तक की संस्कारात्मक पूर्णता को व्यक्त करते हैं।

परिशिष्ट १

समेकित निर्णय-सारिणी

विषय	प्रधान नियम	अपवाद/मतान्तर
काल	संवत्सर-पूर्ति प्रधान	११ मास, ६ मास, ३ मास, त्रिपक्ष, मासान्त, १२/११ दिन
शुभ संस्कार	असम्पन्न सपिण्डन में गर्भाधानादि न करें	वृद्धि-निमित्त में अपकर्ष
प्रधान अधिकारी	ज्येष्ठ पुत्र	अनुपस्थिति में कनिष्ठ/अन्य गौणाधिकारी
गौणकर्ता का कर्म	वृद्धि-निमित्त में अन्तिम	वृद्धि-विहीन स्थिति में ज्येष्ठ पुनः कर सकता है
व्युत्क्रम-मृत्यु	जीवित वरिष्ठ को छोड़ उच्चतर तीन पितरों में मेलन	पितामह की मध्यवर्ती मृत्यु में पहले उसका सपिण्डन
स्त्री-सपिण्डन	पितामही आदि के साथ	पिता, मातामह, पति या अभाव-पक्ष के मतान्तर
सहगमन	माता को पिता में, संयुक्त पिण्ड को पितामहादि में—द्वितीय पक्ष युक्त	पृथक् सपिण्डन न होने का मत
अधिकारी-अभाव	पत्नी पति का अमन्त्रक सपिण्डन कर सकती है	अपुत्रा स्त्री का पति भगिनी आदि के साथ
यति	सपिण्डन नहीं	एकादश दिन पार्वण
द्रव्य	पक्व अन्न/हविष्यान्न	आमान्न से नहीं
पाथेय	सपिण्डन के दूसरे दिन	द्वादश सपिण्डन पर त्रयोदश दिन

परिशिष्ट २

पारिभाषिक शब्दावली

शब्द	अर्थ
सपिण्डीकरण	प्रेत के पिण्ड को पूर्व पितृ-पिण्डों में मिलाकर पितृसमुदाय में संस्कारात्मक संयोजन
अपकर्ष	प्रधान काल से पूर्व आवश्यकता के कारण कर्म का समय घटाना
वृद्धि	विवाह, गर्भाधान, जातकर्म आदि मंगल अथवा वंशवृद्धि-निमित्तक प्रसंग

शब्द	अर्थ
गौणकर्ता	प्रधान अधिकारी के अभाव अथवा विशेष आवश्यकता में कर्म करने वाला वैकल्पिक अधिकारी
व्युत्क्रम-मृत्यु	वंशक्रम में कनिष्ठ का वरिष्ठ से पहले देहान्त, जैसे पितामह के जीवित रहते पिता की मृत्यु
और्ध्वदैहिक	मृतक की उत्तरगति और देहत्यागोत्तर संस्कारों से सम्बद्ध कर्मसमूह
अन्वारोहण/सहगमन	पति के साथ पत्नी की मृत्यु अथवा पुरातन परम्परा में पति-अनुगमन का प्रसंग
अमन्त्रक	अधिकारविशिष्ट मन्त्रों के बिना कर्म का आवश्यक विधिरूप
पाथेय	उत्तरयात्रा के मार्गोपयोगी प्रतीकात्मक भोजन/श्राद्ध
उदककुम्भ	मृतक के निमित्त जलपूर्ण घट का दान अथवा नियमित जलसमर्पण
अनुमासिक	मासिक श्राद्ध के पश्चात् आने वाले पुनरावृत्त मासिक श्राद्ध

श्रद्धया विधिना चैव पितॄणामनुग्रहः स्मृतः ।
कुलधर्मप्रवाहस्य संस्कारः सपिण्डनं परम् ॥

श्रद्धा, विधि और कुलपरम्परा के समन्वय से किया गया सपिण्डीकरण पितृसम्बन्ध की निरन्तरता और कुलधर्म के संस्कारात्मक प्रवाह का प्रमुख साधन है।